

भारत सरकार  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1811  
(30 जुलाई, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए)

भवन अवसंरचना

1811. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कोई तंत्र स्थापित करने का विचार है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और कृषि उत्पादकता सहित ग्रामीण अवसंरचना को किस सीमा तक बढ़ाया जाएगा; और
- (ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या वित्तीय आवंटन प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर  
ग्रामीण विकास मंत्री  
(श्री बीरेन्द्र सिंह)

(क) से (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, अन्य के साथ-साथ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य रोजगार सृजन और ग्रामीण अवसंरचना निर्माण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में समग्र सुधार लाना है। पीएमजीएसवाई के तहत देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा कोर नेटवर्क में शामिल सड़क मार्ग से न जुड़ी सभी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता उपलब्ध कराई जाती है। मनरेगा के उद्देश्यों में से एक कृषि अर्थव्यवस्था का स्थायी विकास है। विभिन्न कार्यों से संबंधित रोजगार उपलब्ध कराने वाली ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से जो दीर्घकालिक गरीबी जैसे कि सूखा, घनों की कटाई और भू-क्षरण के कारणों को दूर करती है, अधिनियम में ग्रामीण आजीविका के प्राकृतिक संसाधन आधार को सुदृढ़ बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण की मांग की गई है। मनरेगा के तहत जलभराव वाले क्षेत्रों में जलनिकासी, ग्रामीण सड़क संपर्कता के साथ-साथ सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्यों, भूमिविकास, जलनिकार्यों (निर्माण/नवीकरण), बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा कार्यों सहित वृक्षारोपण, सिंचाई के माध्यम से जल संरक्षण और जल संचयन, सूखारोधन के साथ वन्यीकरण जैसे कार्यकलाप किए गए। उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के अलावा इन कार्यकलापों से देश के गरीबों के आजीविका संसाधन भी सुदृढ़ हुए हैं। भारत के कृषि कार्यों में गति लाने के लिए वित्त मंत्री ने नाबांड में स्थापित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के कार्पोरेस हेतु वर्ष 2015-16 के लिए 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

\*\*\*\*\*

